नई दिल्ली, 6 जून, 2014

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली, 1977 को जहां उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (सरकारी पक्ष) (उप कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 1974 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :- ये नियम इससे उपाबद्ध, अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.उच्च श्रेणी लिपिक	14* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित/ अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा
(10)	(11)
75% प्रोन्नति द्वारा और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 25% **टिप्पण :** विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता सेवा भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा होगी ।	भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण का ऐसा अवर श्रेणी लिपिक (ग्रेड वेतन 1900रु.) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो । **टिप्पण : 1** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, जो पूर्व किसी अधिकारी दवारा की गई सेवा तत्स्थानी वेतन/ वेतनमान में की गई सेवा समझी जाए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित हैं :- 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष 2. मुख्यालय का कार्यालय प्रधान, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य 3. भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के कार्यालय का विभागाध्यक्ष —सदस्य 4. कृषि मंत्रालय के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग के अवर सचिव —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.अवर श्रेणी लिपिक	13* (विरचन का वर्ष) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित/ अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रुपये	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:**-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य (ii) हस्तचालित टंकण मशीन पर अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट ; कंप्यूटर पर टंकण (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट जो प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब की औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के तत्समान हो) उतीर्ण होनी चाहिए ।	(i)आयु-नहीं (ii) शैक्षणिक अर्हता-हां, किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता रखता हो	दो वर्ष

(10)	(11)
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 85% । (ii)10% रिक्तियां 1800 रूपये के ग्रेड वेतन वाले ऐसे समूह 'ग' के कर्मचारी वृंद से भरी जाएगी जो 12वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो । परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) है । **टिप्पण :** यदि ऐसे कर्मचारी खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्ति की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर बाद वाले वर्ष में उद्भूत होने वाले /वाली रिक्तियों को भरने पर विचार किया जाएगा ताकि पूर्वोत्तर परीक्षा में अर्हक कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सकता है जो बाद वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं । (iii) 5 % रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ।	जैसा स्तंभ 10 में कथित है ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि तथा परिवीक्षा के के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- क- मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष ख- मुख्यालय का कार्यालय प्रधान, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य ग- भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के किसी भी केन्द्र का कार्यालय प्रधान —सदस्य घ- कृषि मंत्रालय के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग के अवर सचिव —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 16-3/2013-एनआरएम-II]
हरीश कपूर, अवर सचिव (एनआरएम/एफएसआर)

New Delhi, the 6th June, 2014

G.S.R. 130.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Group 'C' Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1977, in so far as it relates to the post of Upper Division Clerk, the All India Soil and Land Survey Organization (Government side) (Lower Division Clerk in Sub-offices) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture & Co-operation, Ministry of Agriculture (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade payor pay scale.— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with UPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	14* (2014) *(Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted/ Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 with grade pay Rs. 2400	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	NIL

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
75 precent by promotion and 25 percent on the basis of Limited Depatmental Competitive Examination through Staff Selection Commission. **Note :-** The eligibility service for the Departmental Examination shall be five years regular service in the Lower Division Clerk grade in Soil & Land Use Survey of India	Lower Division Clerk (Grade Pay of Rs. 1900) of Soil & Land Use Survey of India with 8 years service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of :—		Not applicable.
a) The Chief Soil Servey Officer, Soil and Land Use Survey of India	—Chairman	
b) Head of the Office of Headquarters, Office of Soil and Land Use Survey of India	—Member	
c) Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India	—Member	
d) Under Secretary of Natural Resources Management Division of Ministry of Agriculture	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk	13* (year of framing) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted/ Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 with grade pay of Rs. 1900	Non-Selection	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th Class pass from a recognised Board or University or equivalent qualification. (ii) should pass type writing in English with a minimum speed of 35 words per minute or in Hindi with a minimum speed of 30 words per minute; on computer (35 words per minuute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depression for each word)	(i) Age:- No (ii) Educational qualifications :– Yes, must possess at least 12th Class pass qualification from a recognized Board or University equivalent qualification	Two years

(10)	(11)
(i) 85 percent by direct recruitment through Staff Selection Commission.	As stated in Column 10.

(10)
(ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the SC/ST). **Note:-** If more of such employees that the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee is the same as above :— (a) The Chief Soil Survey Officer Soil and Land Use Survey of India —Chairman (b) Head of the Office of Headquarters Office of Soil & Land Use Survey of India —Member (c) Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India —Member (d) Under Secretary of Natural Resources Management Division of Ministry of Agriculture —Member	Not applicable

[F. No. 16-3/2013-NRM-II]

HARISH KAPOOR, Under Secy. (NRM/FSR)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.